

संविधान, प्राविधिक शिक्षा चौथा,

स्वतंत्र शिक्षा अधिकारी

संख्या:- पारिषद संख्या/वर्ष/2022/7817

संख्या/वर्ष/दिनांक: 30/08/2022

काल्पनिक तथा-

अधिकृत ग्राहकीय संकलनीयी क्षितिा चौथा, नई दिल्ली पारिषद काउनिसल औफ इंजिनियरिंग, भवु दिल्ली द्वारा शैक्षिक संवर्धन काउनिसल में संवर्धन किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उच्चाक्षरण की सम्बद्धता/संवर्धन विवरण किए जाने हेतु दिनांक: 10/08/2022 को परिषद कानूनीत्व में संवर्धन की समिति की बैठक संख्या 1122-1 हेतु जारीकृत नई संस्थामी की सम्बद्धता/प्रबंध संस्थामी की सम्बद्धता विस्तार परान्त किए जाने का निश्चय लिया गया।

संवर्धन समिति की बैठक में लिये गये निष्ठान के अनुकूल में निम्न संस्था की प्राविधिक शिक्षा चौथा उपरान्त, उपरान्त लिया गया। संख्या/वर्ष/दिनांक संवर्धन किए जाने का निश्चय संवर्धन विवरण किए जाने हेतु संवर्धन की जाती है।

संस्था का कोड एवं नाम : 4484-SHRIMATI PHULEHRA SMARAK COLLEGE OF POLYTECHNIC

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आ४३०४०३०४०५०४० तीनोंकालीन द्वारा संवर्धन की जाने का निश्चय संवर्धन विवरण किए जाने हेतु	परिषद द्वारा संवर्धन की जाने का निश्चय लिया गया।
		अनुमोदित प्रवेश कालता	परिषद द्वारा संवर्धन की जाने का निश्चय लिया गया।
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120

संवर्धन हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आ४३०४०३०४०५०४०५०४० द्वारा निर्धारित वे गतीय गतीय तात्त्विक विद्यार्थी होंगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एकट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विविधायाची 1992, विविधायाची 2000, भेंडेस्टर विविधायाची 2016 तथा संभव-संस्था पर निर्गत शासनांदेशी का अनुपालन करेनी तथा शुल्क लिपिग्रन्थ लागती द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय कुली० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० ३०१५०००/- प्रतिवर्ष दो वर्षीय कलामों पाठ्यक्रम हेतु ₹०- ४५०००.००/- प्रतिवर्ष एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों दो वर्षीय कार्यमों पाठ्यक्रम के अंतर्वर्त्ता हेतु ₹०-२२५०००.००/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक घरवासी से प्राप्त किया जायेगा। उपरान्त के अंतर्वर्त्ता कार्यकालाची से शुल्क के सम्बन्ध में संभव-संस्था पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनांदेश प्रकारों होंगी, और तदनुसार कार्यकारी किया जाना आवश्यक होगा। फिर लिपिग्रन्थ समिति द्वारा यदि संवर्धन विवरण किए जाने हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है तो फीस की नवीनीतम दरें लाना होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को सम्भव-संस्था पर संवर्धन एवं संवर्धन शासन जारी करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमी/प्राविधिक यांत्रिकीयां एवं संवर्धन शासन जारी किये जाएंगे, जो दोषों तक लियोंगी का पालन करने के लिये जाँचकारी हो।
- ✓ यटी संस्थान का ए०आ४३०४०३०४०५०४०५०४० से अनुमोदित निरस्त किया जाएगा है जो इस सबध में समस्त उत्तराधिकृत संस्था का होगा और तिलिङ क्षेत्र में विद्यों भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तराधीय होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, भवानी वर्णक, परिषद, प्राविधिक शिक्षा लिपेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के चिरुद्ध यदि कोई वार्द दायर किया जाता है तथा दायर वार्द के महाद्य में ज्ञापनालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपाति होती आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपाति संवर्धित संस्था का करनी होगी।
- ✓ संस्थामी को सञ्चुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लघुलकड़ द्वारा प्रतिक्रिया प्राप्त किया जाएगा हेतु जारीकृत काउनिसलिंग प्रारब्ध होने के पूर्व ए०आ४३०४०३०४०५०४०५०४० से अनुमोदित प्राप्त कर परिषद कानूनीत्व की उपलब्धता करना होगा। अन्यथा उन्हें प्राप्त कर काउनिसलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार परामीय प्रवेश। अनुमोदित प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु सम्भव-संस्था पर निर्गत नवीनीतम आवश्यक नियमों का अनुपालन करना वाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने लेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं देने संस्था की ऐसीहासिना प्राप्त वार्षिक स्टाफ, साझ-साजा, उपकरण प्राप्त किया जाने वाला चुना एवं संस्था का वितरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्राविधिक हेतु उपर्युक्त कानूनावरण उन्नतकृपा करने के साथ दैनिक नोकरी के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवसंस्था सुनिश्चित करती होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो सके कि संस्था में प्रस्ताविता संचालित पाठ्यक्रम का वालाही जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभियोग अनुसार उपकरण उत्पादित का यहि संस्था द्वारा किन्हीं उन्हें प्राविधिक क्रमानुसार किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरान्त

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

**संस्था का कोड एवं नाम : 4484-SHRIMATI PHULEHRA SMARAK COLLEGE OF POLYTECHNIC,
KAMTAILA, RASRA, BALLIA**

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०इ० पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
	MECHANICAL		
3	ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०इ०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की जब्ती सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना।

कार्यालय,
संविध. प्राविधिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संलग्न— प्राप्ति/परिषद् सम्बद्धता / 2020 / 1971

लखनऊ: दिनांक: 15-9-2020

—कार्यालय ज्ञाप—

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली/कामोंसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद् ३०५० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक १४-९-२०२० को अध्यक्ष प्राविधिक शिक्षा परिषद्, ३०५० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद् कार्यालय ने बैठक लपेन हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अनुमोदित नई संस्थाओं का सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता यूंडी घोषित करने वाली गयी पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त एवं अनुमोदन में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-२ में डिप्लोमा इन इंजी० पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया—

“निजी होब में स्थापित डिप्लोमा इन इंजी० पाठ्यक्रम संचालित करने वाली डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद्, ३०५० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, में १०आई०सी०टी०इ० द्वारा सत्र 2020-21 हेतु यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं ने १०आई०सी०टी०इ० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्बुद्ध अकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद् से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं १०आई०सी०टी०इ० द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुकूल में परिषद् से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।”

दिनांक १४-९-२०२० को आहुति सम्बद्धता समिति द्वारा बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुमोदन में निम्न संख्या प्राविधिक शिक्षा परिषद्, ३०५० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है—

क्रम सं०	संस्था कोड	शर्तों का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	१०आई०सी०टी०इ०/द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद् द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
५५४१		बीमों टुलेश समारक ऑफ बाटीटैक्निक कामताईला, रसरा, बिहार।	सिविल इंजी० इलेक्ट्रिकल इंजी० वैक्सिनेकल इंजी० प्रौद्योगिकी	१२० ६० १२०	१२० ६० १२०

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था १०आई०सी०टी०इ०/१०सी०आई० द्वारा निर्धारित और गयी शर्तों का पूर्णतः प्राप्त करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् एवं १९८२ तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद् विनियमबाली १९९२, सेमेरटृ विनियमबाली-२०१६ तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुयाली तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क जौन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० ३०,१५०.००/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्यालयी पाठ्यक्रम हेतु ₹० ४५,०००.००/- त्रिवर्षीय एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्यालयी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹० ८०,२२,५००.०० प्राप्तर्थी शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जापन द्वारा निर्णय किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे और तदनुसार प्रियों जाता है तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।